आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या-46/2015-1965-बी/चौदह-4-2015-526/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 09 नवम्बर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 19.68 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-402/36-टी-77 दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60- के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्कस का विकास योजनान्तर्गत रू0 19.68 लाख की धनराशि लेखाशीर्षक 4406-2-110-06-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास- 24-वृहद निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत हो रही बचत रू0 18.23 लाख तथा 25- लघु निर्माण कार्य में हो रही बचत रू0 1.45 लाख, कुल रू0 19.68 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-1965ए/चौदह-4-2015-526/2013 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 19.68 लाख (रू0 उन्नीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय2-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110-वन्य जीव	
06–जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1968

http://shasnadesh.up.nic.in

योग-	1968

(रू0 उन्नीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय।

2- वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/ दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

5- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

http://shasnadesh.up.nic.in

7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि जिन मदों से पुनर्विनियोग हो रहा है, उसमें और मॉग नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-1965-बी(1)/चौदह-4-2015-526/2013 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in